न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 137/2025 **दायर दिनांकः 14.05.2025**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पि. हिन्दूसिंह जाति राजपूत नि. कल्याणपुरा तहसील पिड़ावा

प्रतिवादी

वाद व प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण :—
वादी — पैरोकार सरकार
अभिभाषक प्रतिवादी — श्री पूरीलाल राठौर

निर्णय **दिनांक : 16.10.2025**

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील पिडावा जिला झालावाड की आराजी खसरा नं 412 रकबा 0.1012 हैक्ट प्रतिवादी के खाते दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। जमाबंदी संवत् 2074—77 की नकल संलग्न है। यह है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख0न0 413 रकबा 0.1265 हैक्ट० किस्न गे०मु०रास्ता दर्ज है। जिसे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। जमाबंदी संवत् 2074—77 की नकल संलग्न है। यह है कि वादी भूधारक द्वारा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के साथ मौका निरीक्षण किये जाने व ऑनलाइन नक्शा मिलान पर पाया है कि सेग्रीगेशन के दौरान सहवन से ऑनलाइन नक्शे में ख0न0 412 की जगह 413 अंकन हो गया एवं ख०न० 413 की जगह 412 अंकन हो गया है। नक्शा ट्रेस व ऑनलाइन नक्शा [illegible]। यह है कि वादी द्वारा राज्य सरकार की ओर से भूधारक [illegible] के कारण [illegible] वाद पेंश किया जा रहा है जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार मा[illegible] है। वाद पत्र अन्द[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड

Scanned with OKEN Scanner

मियाद पेंश है। वाद में वादी तहसीलदार को किसी प्रकार का वाद शुल्क दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि

(अ) वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम कल्याणपुरा की वादग्रस्त आराजी ख०न० 413 रकबा 0.1265 हैक्ट० किस्म गे०मु० रास्ता के राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती करने के आदेश फरमावे जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावे में निवेदन किया कि वादपत्र के चरण कम 1 में वर्णित तथ्य जमाबंदी के विवरण से संबंधित होने से स्वीकार है। यह कि वादपत्र के चरण कम 2 में वर्णित तथ्य जमाबंदी के विवरण से संबंधित है। यह कि वादपत्र के चरण कम 3 में वर्णित तथ्यो से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सेग्रिगेशन कब हुआ। खसरा नम्बर 412 एवं 413 के क्षेत्रफल में भी अन्तर हैं। यह कि वादपत्र के चरण कम 4 में वर्णित विवरण कानूनी हैं। **विशेष कथन–** राजस्व भूमि के खातेदारी मे दर्ज होने पर तरमीम को दुरस्त करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान ही लागू होते हैं। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत वाद पोषणीय नहीं हैं। सर्वे व भू–अभिलेख कार्यवाही बंद किए जाने के पश्चात् माननीय न्यायालय को कार्यवाही करने की अधिकारिता नही रहती है। प्रतिवादी द्वारा उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 412 के संबंध में वादी के विरूद्ध इस वाद से पूर्व ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें इस वाद का वादी प्रतिवादी संख्या 3 है। यह कि प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 412 सैन्टल बैंक ऑफ इंडिया शाखा दाँता के यहाँ रहन है जिसका विवरण जमाबंदी संवत् 2074–77 में दर्ज है, इस कारण इस आराजी में उसका भी हित निहित होने से वह भी आवश्यक पक्षकार हैं। यह कि वादपत्र में वाद हेतुक वर्णित नहीं है। [illegible] वादपत्र में अनुतोष स्पष्ट नहीं है। वाद में वादोक्त आराजी खसरा नम्बर [illegible] प्रतिवादी के खाते कब्जे काश्त की है जिसके हित का [illegible] सैन्टल बैंक ऑफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

इंडिया शाखा दाँता को रखा है। वादी किसी भी प्रकार से व्यसित (aggrieve) व प्रभावित (affected) व्यक्ति नही फिर भी इस मोजूदा वाद के प्रतिवादी को क्षति कारित करने तथा निकट स्थित ओसाव पिडावा कल्याणपुरा से मध्यप्रदेश की ओर जाने वाला पक्का डामर सड़क मार्ग से लगवा खातेदार को फायदा पहुँचाने के लिए यह कार्य किया जाना प्रस्तावित है। निकट स्थित ओसाव पिड़ावा कल्याणपुरा से मध्यप्रदेश की और जाने बाला पक्का डामर सड़क मार्ग नाले पर बनी पुलिया से होकर विगत 35– 40 वर्षो से ही निकला हुआ है जो वर्तमान में अस्तित्व में होकर उस पर वाहन निकल रहे हैं जो सार्वजनिक और जनहित की आवश्यकता की प्रभावी रूप से पूर्ति करता है। इस विधिक, सार्वजनिक मार्ग का उपयोग उपभोग ग्रामवासी हमेशा से करते आ रहे सुखाधिकार की निर्धारित अवधि की भी पूर्ति हो गई है। इस मार्ग की दिशा को बदलकर इस मोजूदा वाद के प्रतिवादी के इस खसरा नम्बर की भूमि को बर्बाद करन तथा उसकी पास में स्थित भूमि को बर्बाद करने के लिए उसकी खसरा नम्बर 412 रास्ते में दर्ज कर ओसाव पिड़ावा कल्याणपुरा से मध्यप्रदेश की ओर जाने वाला पक्का डामर सड़क मार्ग निकालकर पास में स्थित इस मोजूदा वाद के प्रतिवादी के अन्य खसरा नम्बर की भूमि को भी बिना मुआवजा दिए पक्की सड़क निकालना चाह रहा है व जहाँ मोजूदा सड़क निकली हुई है वहाँ की पुलिया व सड़क में लगे धन राजकीय मार्ग सम्पदा को पास स्थित खातेदार के हाथों सोपना चाह रहे हैं। प्रतिवादी भंवरसिंह के खेत पर किसी भी प्रकार से ओसाव पिड़ावा कल्याणपुरा से मध्यप्रदेश ओर जाने वाला पक्का डामर सड़क मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपार्ट (DPR) भो नही बनी हैं। खसरा नम्बर 412 इतनी चौड़ी भी नहीं है कि दोहरा डामर रोड जो नि ओसाव पिड़ावा कल्याणपुरा से मध्यप्रदेश की ओर जाने वाला पक्का डामर है इस भूमि में आ सके। वादी द्वारा यह कार्य राजनैतिक दबाव के चलते किसी को फायदा पहुँचाने तथा इस प्रतिवादी तथा ग्रामवासियो को नुकसान कारित करने अपने स्वार्थ के चलते किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा उसकी खातेदारी [illegible] रा नम्बर 412 के संबंध में वादी के विरूद्ध इस वाद से पूर्व भी राजस्थान [illegible]श्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 209 के तहत वाद भंवरसिंह [illegible] अधीक्षण अभियन्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़

3

Scanned with OKEN Scanner

सार्वजनिक निर्माण विभाग झालावाड प्रस्तुत कर रखा है जिसमें इस वाद का वादी प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार आगामी तिथि दिनांक नियत है इस कारण मोजूदा को उस वाद के साथ स्टे किया जाना आवश्यक है अन्यथा वादी के काश्तकारी अधिकारो का हनन होगा जिसकी क्षतिपूर्ति संभव न हो सकेगी। अतः वादी के वादपत्र के संबंध में लिखित कथन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी वाद में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से वाद सव्यय खारिज किया इस न्यायालय में विचाराधीन वाद भैंवरसिंह बनाम अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग झालावाड के साथ स्टे किया जावे प्रतिवादी के काश्तकारी हितों का संरक्षण किया जाकर उसकी कृषि भूमि में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप बाधा, विघ्न कारित करने तथा खुदाई व खुर्द बुर्द करने से वादी को रोका जाने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी मामले में प्रतिवादी के पक्ष में उचित समझे नियमानुसार पारित करे।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में पटवारी हल्का शेरपुर की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 28.04.2025, नामा.सं. 210, ग्राम कल्याणपुरा की जमाबंदी खाता सं. 1, 115, खसरा नक्शा की प्रमाणित पेश की।

4. वादी पेरोकार सरकार एवं अभिभाषक प्रतिवादी की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील पिडावा के सेगिगेशन से पूर्व ग्राम कल्याणपुरा की आराजी ख.नं. 413 रकबा 0.1265 है. गे.मु.रास्ते के रूप में खाता सरकार दर्ज थी जबकि ख.नं. 412 रकबा 0.1012 है. अप्रार्थी सं. 1 भंवरसिंह पि. हिन्दूसिंह के खाते दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम कल्याणपुरा के नक्शा लटठा में ख.नं. 413 एक पतली व लंबी पटटी के रूप में ख.नं. 412 व 411 तक बना हुआ है जबकि अप्रार्थी का ख.नं. 412 एक त्रिभुजाकार रूप में ख.नं. 411 के दक्षिण में, 414 के पश्चिम में ख. 415, 416 के [illegible] स्थित है। ग्राम कल्याणपुरा की सेग्रिगेशन के आनलाईन नक्शे में [illegible] ख.नं. 413 के स्थान पर 412 एवं 412 के स्थान पर 413 दर्ज हो [illegible] है। दोनों खसरो की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़

...दन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरूद्ध न करना पड़।

Scanned with OKEN Scanner

आकृति नक्शा लटठा व आनलाईन में समान है। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तहसील को आनलाईन करते समय सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको ने त्रुटीवश आनलाईन नक्शे में ख.नं. 412 की जगह 413 एवं 413 की जगह 412 अंकित कर दिया गया जो कि एक लिपीकीय त्रुटी है और सहायक भू. अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्व नक्शे में खसरा नं. के अंकन में हुई लिपीकीय त्रुटी को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

5. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद या तहसीलो के सेगिगेशन के दौरान नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है।

6. सुविधा के लिए धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

7. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम कल्याणपुरा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 412 एवं ख.नं. 413 के संबंध में अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी सरकार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम स्वीकार किया जाता है। ग्राम कल्याणपुरा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 412 एवं ख.नं. 413 के आनलाईन राजस्व नक्शे में नक्शा लटठा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner